


XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1982-पीबीआर/14

जिला – इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१०-५-१५	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण सीमांकन प्रतिवेदन के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। सीमांकन प्रतिवेदन पर क्या अग्रिम कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय में हुई है, इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता रिथति स्पष्ट नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में यह निगरानी प्रीमैच्युर होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	



निगरानी प्रकरण क्र. :/2014
प्रस्तुति दिनांक :/07/2014

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
(म.प्र.) के समक्ष

R 1982-PBR/14

शेख जोएब अली पिता ताहिर अली,

*पृष्ठा चौथी निवासी-208-209, सैफी नगर,
इन्दौर (म.प्र.)*

.....प्रार्थी

विरुद्ध

वर्ष-2-7-14
राजकुमार पिता श्री ओमप्रकाश,
निवासी-सेक्टर-डी, सुदामा नगर,
इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भु-राजस्व संहिता 1959

*B/ochaturji
9/7/14*
श्रीमान अधीक्षक भु-अभिलेख, कलेक्टर कार्यालय जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक 285/क्यु/2014 में दिनांक 28/01/2014 के पालन में दिनांक 11/02/2014 को किये गये सीमांकन कार्यवाही से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है:-

॥ प्रकरण के तथ्य ॥

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सिहांसा तहसील व जिला इन्दौर में प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की परिवर्तित भूमि सर्वे नम्बर 250/1/3 कुल क्षेत्रफल 0.109 हेक्टर है उक्त भूमि पर विगत 10 वर्षों से भी अधिक समय से प्रार्थी का रोलिंग शटर का कारखाना बना हुआ है यह शेड स्थाई सीमेन्ट क्रॉकिट का बना हुआ है जिस पर प्रतिप्रार्थी दिनांक 11/02/2014 को भु-अभिलेख अधीक्षक तथा गठित दल के द्वारा किये गये सीमांकन से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है।

॥ निगरानी के आधार ॥

1. यह कि, प्रश्नाधीन सीमांकन की कार्यवाही जो विषयांकित सूचना पत्र के अन्तर्गत प्रारंभ की गई है उसमें सीमांकन का कार्य